



बिहार सरकार
समाहरणालय, नवादा
नवादा -805110
(जिला नजारत शाखा)

दूरभाष 06324-212253 (कार्यालय)
06324-212240 (आवास)
06324-212904 (फैक्स)
email: dm-nawadah.bih@nic.in

निविदा आमंत्रण सूचना

सरकार के उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-7644, दिनांक-05.06.2010 द्वारा जिले में पदस्थापित वरीय उप समाहर्ताओं/पदाधिकारियों को भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराया जाना है। नवादा जिला अन्तर्गत बोलेरो/टाटा सूमो/इनोवा/जाईलॉ/स्कॉर्पियो/ इन्डिगो/सफारी (Storm)/एस0यू0भी0/एक्स0यू0भी0 वाहन या अन्य चार पहिया वाहन वरीय उप समाहर्ताओं/पदाधिकारियों के व्यवहार हेतु भाड़े पर वाहन चालक सहित उपलब्ध कराने के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है। सफेद रंग का वाहन मॉडल-2017/2018 को प्राथमिकता दी जायेगी। इच्छुक वाहन मालिक/एजेंसी अपने वाहन के सभी कागजात (निबंधन संख्या, बीमा का रसीद, जी0एस0टी0, अद्यतन कर भुगतान प्रमाण-पत्र) के साथ दिनांक-4/6/18 को 2:00 बजे अपराहन तक अपना निविदा जिला नजारत शाखा, नवादा में दे सकते हैं तथा उसी दिन 4:00 बजे अपराहन में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में निविदा खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। निविदादाता तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सीलबंद लीफाफा में देंगे।

तकनीकी निविदा की शर्तें :-

01. वाहन व्यवसायिक अन्तर्गत निबंधित होना चाहिए।
02. वाहन का परमिट/प्रदूषण प्रमाण-पत्र एवं फिटनेस वैध होना चाहिए।
03. वाहन के बीमा का अद्यतन होना चाहिए।
04. वाहन का अद्यतन कर भुगतान होना चाहिए।
05. वाहन तीन वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
06. कोई भी निविदा निर्धारित समय-सीमा के बाद स्वीकार नहीं किया जायेगा।
07. निविदादाता को निविदा के साथ मो0 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र का बैंक ड्रॉफ्ट जो, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हो तथा जिला पदाधिकारी, नवादा के पक्ष में देय हो, संलग्न करना है।

सामान्य शर्तें :-

01. भाड़े पर वाहन 12 (बारह) महीने के लिए लिया जायेगा।
02. भाड़े पर लिए जाने वाले वाहन का दैनिक रख-रखाव एवं उस पर होने वाले तेल एवं चालक का व्यय वाहन मालिक के द्वारा किया जायेगा।
03. भाड़े पर वाहन लिए जाने के बाद 15 (पन्द्रह) दिनों के भीतर जिला प्रशासन के द्वारा गठित समिति से वाहन मालिक को वाहन का फिटनेस प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य होगा।
04. वाहन मालिक को प्रतिमाह 1500 कि0मी0 का परिचालन करना होगा। महीने में वाहन का 1500 कि0मी0 से अधिक परिचालन होने की स्थिति में ईंधन की आपूर्ति जिला प्रशासन द्वारा लागबुक के आधार पर किया जायेगा। यदि किसी कारणवश वाहन का परिचालन महीने में 1500 कि0मी0 से कम का परिचालन करता है तो वह व्ययगत नहीं होगा, बल्कि वाहन मालिक को अगले माह परिचालन कराना होगा।
05. भाड़े पर वाहन की निविदा ईंधन सहित एवं ईंधन रहित प्रति दिन एवं प्रति माह का दर अलग-अलग देना होगा तथा ए0सी0 एवं नन-ए0सी0 गाड़ी की निविदा का दर भी अलग-अलग देना होगा।
06. वाहन 24 (चौबीस) घंटे जिला प्रशासन/संबंधित कार्यालय के अधीन रहेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/एजेंसी का दायित्व होगा कि वे तुरन्त दूसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस माह का भाड़े का भुगतान नहीं किया जायेगा और जमानत की राशि जब्त करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
07. उपर्युक्त शर्तों के अनुरूप मासिक न्यूनतम Bid देने वाले के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
08. सरकारी कार्यालयों में वाहन आपूर्ति किये जाने संबंधित अनुभव प्रमाण-पत्र एवं स्थानीय आपूर्तिकर्ता को प्राथमिकता दी जायेगी।
09. निविदा में बिना किसी कारण संशोधन/स्थगित या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
10. किसी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
11. नियमानुसार जी0एस0टी0 एवं आयकर की कटौती की जायेगी।
12. निविदा दिनांक-4/6/18 को 2:00 बजे अपराहन तक जिला नजारत शाखा, नवादा में प्राप्त किया जायेगा।
13. इसे जिले के वेबसाइट www.nawada.bih.nic.in एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के वेबसाइट www.prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

जिला नजारत उप समाहर्ता,
नवादा।

वरीय प्रभारी पदाधिकारी,
जिला नजारत शाखा, नवादा।

जिला पदाधिकारी,
नवादा।